अध्याय 25

विश्राम वर्ष और जुबली का वर्ष

अध्याय 23 में आरंभ हुए विषय का अध्याय 25 समापन कर देता है: "यहोवा के निर्धारित समय।" ये इस्राएल के विशेष समय थे यहोवा को स्मरण करने के लिए, जब वे यहोवा के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कुछ कार्य करते थे। अध्याय 23 में निर्धारित विशेष समय दिनों, सप्ताहों, और महीनों के थे। इस अध्याय में जिन का वर्णन किया गया है वे वर्षों में थे: विश्राम वर्ष और जुबली का वर्ष। भूमि को विश्राम लेने दिया जाता था; किसी फसल को न बोया जाना था और न काटा जाना था। इसके अतिरिक्त, जुबली के वर्ष में, जो भूमि बेची गई थी, उसे मूल स्वामियों को लौटा देना था, तथा दासों को स्वतंत्र कर दिया जाना था। इन विशेष वर्षों को मनाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा आवश्यक था। जो प्रक्रियाएं इनमें सम्मिलित थीं वे लोगों को उनकी परमेश्वर पर निर्भरता का स्मरण दिलाती थीं; और साथ ही भूमि के उपजाऊ होने, तथा निर्धनों के प्रति उदार होने योगदान करती थीं, और इनका परिणाम इस्राएल में एक समतावादी समाज था (ऐसा जो समान अवसरों पर आधारित हो)।

विश्राम वर्ष (25:1-7)

1फ़िर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, 2"इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिये विश्राम मिला करे। 3छ: वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और छहों वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाँट छाँटकर देश की उपज इकट्ठी किया करना; 4परन्तु सातवें वर्ष भूमि को यहोवा के लिये परमविश्रामकाल मिला करे; उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छाँटना। 5जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाँटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना; क्योंकि वह भूमि के लिये परमविश्राम का वर्ष होगा। 6भूमि के विश्रामकाल ही की उपज से तुम को, और तुम्हारे दास-दासी को, और तुम्हारे साथ रहनेवाले मज़दूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा; 7और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीवजन्तु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा।"

आयतें 1, 2. ये नियम, लैव्यव्यवस्था में पाए जाने वाले अन्य नियमों के समान, **मूसा** के द्वारा, **इस्राएल** को दिए गए थे; और जब इस्राएल परमेश्वर द्वारा उन्हें **दिए** जाने वाले **देश** में प्रवेश करता तब से लागू हो जाने थे। इसलिए इस प्रकाशन के

साथ एक आशापूर्ण टिप्पणी भी थी; इससे यह भविष्यवाणी होती थी कि इस्राएल वास्तव में उस देश पर विजय प्राप्त कर लेगा जिसकी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी और वे वहाँ पर फसलें उगाएंगे।

जब इस्राएल कनान में प्रवेश करता, तब **भूमि को यहोवा के लिये विश्राम मिला करे**। इस विश्राम के विषय में दो महत्वपूर्ण बिंदु प्रकट होते हैं।

पहला, व्यवस्था यह नहीं कहती कि उस वर्ष में लोगों को विश्राम लेना है। नियम का उद्देश्य इस्राएलियों के लिए विश्राम का वर्ष देने का नहीं था। उनके लिए फसलें बोने और काटना तो वर्जित था, किन्तु व्यवस्था यह नहीं कहती थी कि उन्हें वर्ष भर कोई काम नहीं करना था। खेती का कार्य तो प्रतिबंधित था, किन्तु अन्य सभी कार्य होते रहने थे।

दूसरा, देश का "विश्राम" "यहोवा के लिए" होना था। किस प्रकार से? यद्यपि उस वर्ष में कोई अतिरिक्त सभाएं या "समारोह" नहीं होने थे, इस खेती-प्रधान समाज में लोगों को अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता था क्योंकि वे बोते और काटते नहीं थे। सम्भवतः यहोवा का उद्देश्य था कि लोग व्यक्तिगत रीति से उसकी भलाई पर मनन करने और प्रार्थना करने में अधिक समय बिताते। ऐसा वास्तव में होता था या नहीं, परन्तु भूमि का "विश्राम" तो "यहोवा के लिए" था, क्योंकि यहोवा की ओर से इसकी माँग थी, यह यहोवा के प्रति आदर के लिए रखा जाता था, और यहोवा के प्रति इस्राएल के समर्पण का प्रमाण देता था।

आयतें 3-5. परमेश्वर ने विवरण दिया कि देश के लिए **विश्राम** से उसका क्या अभिप्राय था। **छः वर्ष** तक बोने, छांटने, और काटने के पश्चात, **सातवें वर्ष** में लोगों को फसल उगाने या काटने के लिए कुछ नहीं करना था (25:3, 4; देखें निर्गमन 23:10, 11)।[1] प्रत्यक्षतः, इस सातवें वर्ष का आरंभ छठवें वर्ष की फसल की काट लिए जाने के पश्चात होता। इसलिए इस्राएलियों को पतझड़ के समय (पवित्र कैलेण्डर के सातवें महीने में) सातवें खेतीहर वर्ष के आरंभ में कोई फसल नहीं बोनी थी।

इस **विश्राम वर्ष** में कुछ वस्तुएँ अपने आप उग जातीं, परन्तु उन वस्तुओं के लिए भी - काटे हुए खेत में **अपने आप से उगी हुई वस्तुएँ**[2] और बिना छांटी हुई **दाखलता** में **दाख** की उपज - को तोड़ना नहीं था (25:5)। भूमि को विश्राम देना था, उसे बंजर छोड़ना था। निःसंदेह यह नियम धार्मिक कारणों से था, संभवतः इससे भूमि को भी लाभ होता। आज, यह खेती की एक अच्छी प्रथा है कि समय-समय पर भूमि को बंजर छोड़ दिया जाए; ऐसा करने से वह अधिक उपजाऊ हो जाती है और अधिक फसल देती है।

आयतें 6, 7. विश्राम के समय में अपने आप होने वाली **उपज** सब के लिए **भोजन** के लिए उपलब्ध थी: इस्राएलियों, उनके दास-दासियों, और उनके **साथ रहनेवाले** मज़दूरों, और **परदेशियों**, तथा **पशुओं** के लिए। नई फसल न तो बोई जा सकती थी और न काटी जा सकती थी; परन्तु जो कुछ अपने आप उगता या दाखलता और पेड़ों से मिलता उसे लोगों तथा पशुओं द्वारा खाया जा सकता था।[3]

कोई अचरज कर सकता है, "यदि विश्राम वर्ष में कोई फसल उगाई ही नहीं जाती, तो लोग जीवित कैसे रहते? वे क्या खाते?" इसके अनेकों उत्तर संभव हैं: (1) लोग वह खा सकते जो भूमि अपने "विश्राम" के समय में अपने आप उपजाती। (2) पशुओं को रखा और बढ़ाया जा सकता था, और वे मैदान की घास तथा स्वतः उगने वाले अनाज को खा सकते थे। उस वर्ष में उन्हें भी खाया जा सकता था। वास्तव में, पशुओं को बढ़ाना व्यवस्था के बलिदानों के लिए भी आवश्यक था। (3) सातवें वर्ष में खाने के लिए, छठवें वर्ष में भोजन एकत्रित करने के विरुद्ध कोई नियम नहीं था (देखें 25:20-22)।

सर्वोत्तम उत्तर है कि विश्राम वर्ष विश्वास की कसौटी था। इस्राएलियों को विश्वास रखना था कि परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जब वे आज्ञाकारिता के साथ सातवें वर्ष के संबंध में उसके नियमों का पालन करेंगे। इस बात में, विश्राम वर्ष और विश्राम दिन में कुछ समानता थी। यहूदियों को विश्राम दिन में कोई कार्य नहीं करना था, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर छः दिन में इतना दे देगा कि वह सातवें दिन के प्रयोग के लिए पर्याप्त होगा। इस सिद्धान्त का चित्रण इस्राएल के जंगल के समय में मन्ना के दिए जाने के द्वारा किया गया था। इसलिए, इस वर्ष का दोहरा उद्देश्य था कि भूमि को विश्राम मिले और साथ ही इस्राएल की, परमेश्वर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरोसा करने की परीक्षा हो।

जुबली का वर्ष (25:8-55)

जुबली का वर्ष प्रति पचासवें वर्ष होता था, सात विश्राम वर्षों के पश्चात। जुबली की घोषणा प्रायश्चित के दिन शोफर (मेढ़े के सींग से बने नरसिंगा) के फूंकने के द्वारा की जाती थी। शब्द "जुबली" (יוֹבֵל, *योबेल)* अपना नाम मेढ़े के सींग से प्राप्त करता है।[4] इस बात के अतिरिक्त कि भूमि को निर्धारित विश्राम मिले (जैसा कि विश्राम वर्ष में है), इस नियम का प्रमुख उद्देश्य था समस्त इस्राएल के लिए एक "छुटकारे" के समय का प्रावधान करना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि को वापस लौट सके - उस विरासत को जो उसके परिवार को प्रदान की गई थी जब इस्राएल कनान पर विजय प्राप्त कर चुका और उसे गोत्रों में बाँट दिया गया। इस उद्देश्य के साथ संबद्ध था कि इस समय पर सभी इस्राएली दासों को स्वतंत्र कर दिया जाता था।

इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति - भूमि को मूल स्वामियों को लौटाना और इस्राएली दासों को छुटकारा देना - के महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम थे। इसलिए यहोवा ने, विभिन्न संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, विवरण दिया।

परिभाषा और विवरण (25:8-12)

[8]"सात विश्रामवर्ष, अर्थात् सात गुना सात वर्ष गिन लेना, सातों विश्रामवर्षों का यह समय उनचास वर्ष होगा। [9]तब सातवें महीने के दसवें दिन को, अर्थात्

प्रायश्चित्त के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुँकवाना। 10और उस पचासवें वर्ष को पवित्र मानना, और देश के सारे निवासियों के लिये छुटकारे का प्रचार करना; वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए; उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। 11तुम्हारे यहाँ वह पचासवाँ वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए; उस में तुम न बोना, और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छाँटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना। 12क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा; वह तुम्हारे लिये पवित्र होगा; तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेकर खाना।"

इस प्रकार विषय विश्राम वर्ष से जुबली के वर्ष की ओर बदलता है, और शेष अध्याय पर पचासवें वर्ष से संबंधित नियम हावी हैं।

आयत 8. जुबली के वर्ष को **सात वर्षों** के **सात** चक्रों के पश्चात मनाया जाना था - अर्थात, "पचासवें वर्ष" में (25:10)।

अधिकांश व्याख्याकर्ता यह मान लेते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी संस्करण संकेत करते हैं, कि जुबली को पचासवें वर्ष में मनाया जाता था। कुछ इस विचार पर प्रश्न करते हैं, विशेषतः इसलिए क्योंकि यदि उसे पचासवें वर्ष में मनाया जाता, तो इससे एक के बाद एक दो विश्राम वर्ष सम्बंधित होते; और उन्हें संदेह है कि समाज बिना उपज के दो वर्ष तक जीवित कैसे रहता। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया है कि जुबली का वर्ष सातवें विश्राम वर्ष के, अर्थात उनचासवें वर्ष के समान था और पचास वर्ष का उल्लेख समय के "सम्मिलित की हुई" गिनती की विधि के अनुसार था। गौर्डन जे. वैनहैम ने, इस विचार की व्याख्या करने के पश्चात, यह विचार व्यक्त किया कि जुबली वर्ष उनचास दिनों का एक लघु वर्ष हो सकता था जिसे उनचासवें वर्ष के तुरंत बाद मनाया जाता। इस प्रकार का लघु "वर्ष" मानने से जुबली के वर्ष के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती, और दो विश्राम वर्षों को एक के बाद एक भी मनाने नहीं पड़ते।[5] इन प्रस्तावों के होते हुए भी, जुबली के वर्ष को पचासवां और पूर्ण वर्ष देखना ही सबसे अच्छा है।

आयत 9. जुबली के वर्ष की घोषणा सारे देश में **नरसिंगा** फूंके जाने के द्वारा की जानी थी। इसका आरंभ **सातवें महीने के दसवें दिन को, अर्थात् प्रायश्चित्त के दिन** नरसिंगे के फूंके जाने के साथ होता था। यह आने वाले खेती के वर्ष में काटी जाने वाली उपज के लिए बोने के समय से ठीक पहले होता। जिस प्रकार से विश्राम वर्ष पतझड़ में खेती के वर्ष के साथ आरंभ होता था, उसी प्रकार जुबली का वर्ष भी पतझड़ के समय आरंभ होता।

आयत 10. जुबली के वर्ष का प्राथमिक उद्देश्य था **देश के सारे निवासियों के लिये छुटकारे का प्रचार करना**। "छुटकारे" के स्थान पर NKJV इब्रानी शब्द דְּרוֹר *(डेरौर)* को "स्वतंत्रता" में अनुवादित करती है।

आयत का बाद के भाग के लिए NASB में आया है *और* **उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि *और* अपने अपने घराने में लौटने पाओगे** (बल दिया गया है)। "और" शब्द के स्थान पर "जब" प्रयोग किया जा सकता था: "*जब* उसमें तुम अपनी

निज भूमि, *जब* अपने अपने घराने में लौटने पाओगे।" यह "छुटकारा" या "स्वतंत्रता" लोगों को अपनी अपनी निज "भूमि" और "परिवार" को लौटने की अनुमति प्रदान करता। उनका अपनी अपनी निज भूमि को लौटना मूल स्वामियों द्वारा भूमि को वापस ले लेने के द्वारा होता; और उनका अपने परिवारों में लौटना इस्राएलियों को अपने देशवासियों द्वारा दासत्व से छोड़े जाने के द्वारा होता। ये **छुटकारे** इस्राएल को जुबली का अनुभव करवाते।

आयतें 11, 12. जैसे विश्राम वर्ष को माना जाता था वैसे ही इसे भी मानना था। उन्हें **उपज** के बोना और काटना नहीं करना था, पर जो कुछ भूमि से स्वतः ही उगता वे उसे खा सकते थे।

जुबली के वर्ष के विषय संभवतः जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, लोगों को उसे "समर्पित" मानना था (25:10) या उसे **पवित्र** समझना था। दूसरे शब्दों में, उस वर्ष को पृथक कर के यहोवा परमेश्वर का आदर करना था। कुछ बातों में, यह उसकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करता था; इसलिए यह "पवित्र वर्ष" था।

मूल नियम (25:13-17)

13"इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। 14और यदि तुम अपने भाईबन्धु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाईबन्धु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना। 15जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हों उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहराके एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। 16जितने वर्ष और रहें उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहें उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। 17तुम अपने अपने भाईबन्धु पर अन्धेर न करना; अपने परमेश्वर का भय मानना; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।"

इससे पहले कि यहोवा लोगों के "क्या होगा यदि ... ?" प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करता, उसने वह मूल सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिस को इसके बाद आने वाले नियमों ने व्यावहारिक करना था। इस अध्याय में पाए जाने वाले नियमों को आयत 17 के सर्वोपरि नियम: उन्हें "[अपने] परमेश्वर का भय" मानना था और "आपने अपने भाईबंधू पर अंधेर नहीं करना था" के संदर्भ में समझना चाहिए।

आयत 13. यहोवा ने **जुबली के वर्ष** के प्राथमिक उद्देश्य को बताने के द्वारा आरंभ किया: **तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे।** जब इस्राएल ने कनान के देश पर विजय प्राप्त की, तो उसे उनके बारह गोत्रों में विभाजित किया गया। गोत्रों के अन्दर, प्रत्येक परिवार को भूमि का कुछ भाग उनकी विरासत के लिए मिला। इस नियम का उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार अपनी विरासत के अधिकार को, जो उसे तब मिला था जब इस्राएल वाचा किए हुए देश में आकर बसा था, संभाल कर रखता। इसलिए यदि कोई परिवार अपनी

भूमि को बेचता, तो जुबली के वर्ष में, उसकी विरासत उसके पास लौट आती।

आयतें 14-16. यदि किसी इस्राएली को अपनी भूमि को बेचना पड़ता, तो वह और उससे खरीदने वाले, दोनों को इस नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना था: **तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना** (25:14)। किसी दूसरे पर अंधेर करने की संभावना में, अगली दो आयतों में खुलासा की गई संभावना की गलती संबद्ध है: यदि कोई इस्राएली अपने किसी संगी इस्राएली को जुबली से दस वर्ष पहले अपनी भूमि उसकी पूरी कीमत पर बेचे, और फिर जुबली के वर्ष में उसे वापस मांगे, तो खरीदने वाले की हानि हो जाती।

ऐसी घटना के घटित होने से बच रहने के लिए, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों को भूमि की कीमत के प्रति सहमत होना था, जो उसपर पचास वर्ष में उगाई जाने वाली **उपज** की कीमत पर आधारित हो। फिर खरीदने वाले को उस धन के एक भाग के द्वारा, जो आने वाली जुबली में कितने वर्ष शेष हैं उसके अनुसार, कीमत चुकानी थी (25:15, 16)। अवश्य ही "खरीदने वाला" वास्तव में भूमि का स्वामी नहीं हो जाता था; वरन वह स्थायी अधिकारी को अगले जुबली के वर्ष तक उसपर उगाई जाने वाली उपज के अनुपात में कीमत चुकाता। उसका "स्वामित्व" एक पट्टा लेने का सहमति पत्र होता, न कि भूमि के स्वामी हो जाने के अधिकार का।

प्रभावी रूप में, यह नियम देश के निवासियों की आर्थिक भिन्नताओं को कम कर देता। प्राचीन समय में, संपत्ति का संचय बहुधा भूमि को लेकर अपने पास रख लेने के साथ संबंधित था। संपन्न परिवारों के पास विशाल भू-संपत्ति थी। इस नियम के द्वारा व्यक्तियों को बहुत अधिक भूमि एकत्रित करने से रोका जाना था। इसलिए इसको व्यावहारिक करना, इस्राएली समाज के अधिक समान होने में योगदान करता था।

आयत 17. परिच्छेद की अंतिम आयत इस्राएलियों को, भूमि खरीदते और बेचते समय, एक दूसरे के साथ निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार करने के तीन कारण देता है: (1) उन्हें आज्ञा दी गई थी कि **तुम अपने अपने भाईबन्धु पर अन्धेर न करना**। (2) **परमेश्वर** का **भय** (या श्रद्धा) उन्हें आज्ञाकारी बनाता। परमेश्वर निर्धनों के विषय चिन्तित था। कोई भी, जो औरों के साथ अंधेर करता, या उनका लाभ उठाता (चाहे वह व्यक्ति जिसके साथ अंधेर किया जाता वह खरीदार होता अथवा बेचने वाला), विशेषकर उनसे जो निर्धन होते थे, वह परमेश्वर से दण्ड भोगने के जोखिम में था। (3) **यहोवा** ही उनका **परमेश्वर** था। इसलिए उन्हें उसके वचन को मानना था और उसका आदर करना था; और इसमें निर्धनों के साथ अनुकम्पा का व्यवहार भी सम्मिलित था, जैसा कि प्रभु ने किया।

इसके बाद आने वाले नियम लोगों की सहायता करने के लिए थे, कि वे सुनिश्चित कर सकें कि उन्होंने, जुबली के वर्ष से संबंधित अपने व्यावसायिक लेन-देन में किसी पर "अंधेर नहीं किया" था। उन्हें अपने व्यवसाय को इस प्रकार से संचालित करना था कि उससे प्रगट हो जाता कि वे परमेश्वर का भय मानते थे और वे उसे अपना परमेश्वर होना स्वीकार करते थे।

आज्ञाएँ और प्रतिज्ञाएँ (25:18-22)

18"इसलिये तुम मेरी विधियों को मानना, और मेरे नियमों पर समझ बूझकर चलना; क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। 19भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया करोगे, और उस देश में निडर बसे रहोगे। 20और यदि तुम कहो कि सातवें वर्ष में हम क्या खाएँगे, न तो हम बोएँगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे? 21तो जानो कि मैं तुम को छठवें वर्ष में ऐसी आशीष दूँगा, कि भूमि की उपज तीन वर्ष तक काम आएगी। 22तुम आठवें वर्ष में बोओगे, और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और नवें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे।"

यहोवा ने जैसे जैसे जुबली से संबंधित अन्य नियम दिए, उसने एक आज्ञा दी (25:18) और लोगों को आज्ञाकारी होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उदार प्रतिज्ञाएँ भी दीं (25:19-22)।

आयत 18. यहोवा ने अपने श्रोताओं से आग्रह किया कि वे उसके आज्ञाकारी रहें। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे उसकी **विधियों को मानें** और उसके **नियमों पर समझ बूझकर चलें**। परमेश्वर का उद्देश्य था कि उसके नियमों का पालन हो, और उसने लोगों को अपनी आज्ञाकारिता के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए यहाँ पर उसने तीन प्रतिज्ञाएँ दीं।

इस्राएल को आज्ञाकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए जिस पहली प्रतिज्ञा का परमेश्वर ने प्रयोग किया, वह थी कनान में सुरक्षा। यदि वे उसके आज्ञाकारी रहेंगे, तो वे **उस देश में निडर बसे रहेंगे** जो वह उन्हें देगा। इस प्रतिज्ञा में हानिकारक शक्तियों से सुरक्षा तथा खेती के प्रयासों में सफलता निहित है।

आयत 19. इसके बाद, यदि इस्राएल उसके प्रति आज्ञाकारी रहेगा, तो उसके लोग बहुतायत की उपज प्राप्त करेंगे जिससे वे **पेट भर खाया करेंगे**, और उस देश में **निडर बसे रहेंगे**।

आयतें 20-22. तीसरे, परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए प्रावधान करने की प्रतिज्ञा दी, जिससे वे विश्राम वर्ष को मनाने में किसी घटी का अनुभव न करें।

परमेश्वर ने यह समझा कि विश्वासी इस्राएलियों में भी उसके द्वारा दिए गए नियमों को लेकर प्रश्न हो सकते हैं। संभावना थी कि वे पूछें कि **"सातवें वर्ष में हम क्या खाएँगे, न तो हम बोएँगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे?"** (25:20)। जैसे जैसे जुबली का वर्ष निकट आता जाता, यह प्रश्न और अधिक विकट होता जाता, क्योंकि एक के बाद एक, दो विश्राम वर्षों को मनाने की आवश्यकता होती। इस स्थिति में परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि **छठवें वर्ष** में लोगों के पास इतनी बहुतायत की फसल होगी कि वह तीन वर्षों के लिए पर्याप्त रहेगी (25:21), जब तक कि वे **नौवें वर्ष** में **आठवें वर्ष** में बोई गई **उपज** को खाने न पाएँ (25:22)।

व्यावहारिक रीति से यह प्रतिज्ञा किस प्रकार कार्यान्वित होती थी, इसका विवरण देना कुछ कठिन है। व्याख्याकर्ताओं ने इसे समझाने के लिए यह सुझाव

दिया है कि इन आयतों में जिन वर्षों को नाम दिया गया है ("छठवाँ," "सातवाँ," "आठवाँ," और "नौवाँ") वह पवित्र कैलेण्डर के अनुसार हैं, जिसमें वर्ष का आरंभ बसंत ऋतु में होता है, जबकि विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष का आरंभ पतझड़ में होता है। यदि ऐसा है भी तो यह सारणी, नियम द्वारा इस प्रकार से क्रमबद्ध की गई होगी:

पाँचवाँ (पवित्र) वर्ष
पतझड़ - छठवें वर्ष के लिए बोना।
छठा (पवित्र) वर्ष
बसंत - तीन-वर्ष के लिए बहुतायत की उपज को काटना।
पतझड़ (विश्राम वर्ष का आरंभ) - कोई बोना नहीं।
सातवाँ (पवित्र) वर्ष
बसंत (विश्राम वर्ष का समापन) - कोई कटाई नहीं, तीन वर्ष के लिए दी गई उपज से खाना आरंभ करना।
पतझड़ (जुबली वर्ष का आरंभ) - कोई बोना नहीं।
आठवाँ (पवित्र) वर्ष
बसंत (जुबली के वर्ष का समापन) - कोई कटाई नहीं, तीन वर्ष के लिए उपज का दूसरा भाग खाना।
पतझड़ (विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष के बाद का पहला वर्ष) - भोजन के लिए उपज का बोया जाना।
नौवां (पवित्र) वर्ष
बसंत - उपज की कटाई। कटाई होने तक, तीन वर्ष की उपज का शेष भाग खाना।[6]

इस प्रकार से "छठवें वर्ष" की बहुतायत की उपज लोगों को दो पूरे वर्ष और तीसरे वर्ष के कुछ भाग तक संभाले रखेगी। यह प्रतिज्ञा होने के कारण, लोग आश्वस्त हो सकते थे कि वे भूखे नहीं रहेंगे चाहे जुबली का वर्ष विश्राम वर्ष के तुरंत बाद ही क्यों न आए।

भूमि का बेचना (25:23-28)

[23]भूमि सदा के लिये बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है; और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। [24]लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। [25]यदि तेरा कोई भाईबन्धु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुम्बियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाईबन्धु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। [26]यदि किसी मनुष्य के लिये कोई छुड़ानेवाला न हो, और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, [27]तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको,

जिसने उसे मोल लिया हो, फेर दे; तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। [28]परन्तु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेनेवालों के हाथ में रहे; और जुबली के वर्ष में छूट जाए तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए।"

इस खण्ड में, यहोवा ने इस प्रश्न का निवारण किया: "भूमि के स्वामित्व को उन लोगों द्वारा किस प्रकार बनाए रखना है जिन्हें वह मूल में आवंटित की गई थी?"

आयत 23. खण्ड का आरंभ उस मूल सिद्धान्त के कहे जाने के साथ होता है जिस पर भूमि के बेचने और खरीदने से संबंधित सभी अध्यादेश आधारित थे: समस्त **भूमि** का स्वामी परमेश्वर है! वास्तव में, उनके कनान में प्रवेश करने के बाद भी, परमेश्वर के लोगों को अपने आप को देश में **परदेशी और बाहरी** समझना था। वे स्थायी नागरिक नहीं थे; वे वहाँ अस्थायी रूप से थे। इसलिए कुछ भी **भूमि सदा के लिये बेची न जाए**।

आयत 24. क्योंकि **भूमि** यहोवा की थी, इसलिए उसे अधिकार था कि वह कहे कि उसके साथ वह क्या चाहता था। उसका निर्णय था कि इस्राएल द्वारा कनान पर विजय करने के बाद किया गया भूमि का बँटवारा बना रहे। इसका अर्थ था कि यदि कोई इस्राएल में संपत्ति मोल लेता तो उसे वापस लौटाने के लिए भी सहमत रहना चाहिए, जब भी उचित व्यक्ति उसे छुड़ाने का प्रस्ताव रखता, या उसे वापस मोल लेना चाहता।

उसे कौन छुड़ा सकता था, और किन परिस्थितियों में? यदि उसको छुड़ाया न जाए तो भूमि का क्या होना था? अगली चार आयतें इन प्रश्नों का उत्तर देती हैं।

आयत 25. लेख पहले वर्णन करता है कि किसी मनुष्य की **निज भूमि** कैसे बेची जा सकती थी। यदि वह **कंगाल** हो जाए, तो वह अपनी भूमि में से कुछ को **बेचने** के लिए बाध्य हो सकता था। उदाहरण के लिए वह इतने ऋृण में जा सकता था कि अपनी भूमि के भाग को बेचे बिना वह उसे चुका न पाए। इसका अभिप्राय है कि भूमि का स्वामी अपनी संपत्ति को तब तक न बेचे जब तक वह आर्थिक रीति से बाध्य न हो जाए।

जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि के भाग को बेचने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके **कुटुम्बियों में से जो सबसे निकट हो** उसका दायित्व होता कि वह उसे छुड़ाए, मोल लेने वाले से **बेचे हुए भाग को छुड़ा ले**। कोई भाई-बन्धु किसी अन्य इस्राएली द्वारा बेची गई भूमि को क्यों छुड़ाए? उनके निकट संबंध के कारण। आयत 25 में दोनों ही पारिभाषिक शब्द **भाई-बन्धु** और **कुटुम्बी** אָח *('ऍच)* का अनुवाद हैं, जिसका शब्दार्थ है "भाई" (देखें 25:36, 39, 46, 47)। क्योंकि वे "भाई" थे, इसलिए एक इस्राएली को अधिक निर्धन भाई की सहायता करनी थी। प्रत्यक्षतः, जिस व्यक्ति ने भूमि बेची थी, तब वह उसपर लौट कर कार्य कर सकता था। क्या वह अपने कुटुम्बी को वापस चुकाने के लिए अनुग्रहित था? खण्ड यह नहीं कहता है।

आयतें 26, 27. यदि जिस **मनुष्य** ने भूमि बेची है उसका कोई **छुड़ानेवाला न हो**, तो वह स्वयं ही भूमि को छुड़ाने के लिए उत्तरदायी था (उसे वापस मोल लेने के लिए) जब भी उसकी परिस्थितियों में सुधार होता। उसे उस मनुष्य के साथ न्यायसंगत होना था, जिसने उससे संपत्ति मोल ली थी, दी गई कीमत और आने वाले जुबली के वर्षों तक का ध्यान रखते हुए। भूमि को वापस मोल लेते समय, उसे मोल लेने वाले को वह दाम वापस करना होता था जो उसने उस उपज के लिए लगाया था जिसे वह बोने या काटने नहीं पाएगा।

आयत 28. किन्तु, यदि भूमि को बेचने वाला उस संपत्ति को छुड़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी कभी एकत्रित नहीं करने पाए, तो मोल लेने वाला उसे अपने पास **जुबली के वर्ष** तक रख सकता था। उस समय, वह बेचने वाले के पास **फेर दी** जाएगी। फेर देना שַׁלַּח *(यात्सा')* से है, जिसका शब्दार्थ होता है "बाहर जाना।"

घर बेचना (25:29-34)

29"फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाहवाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अन्दर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। 30परन्तु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाहवाले नगर में हो मोल लेनेवाले का बना रहे, और पीढ़ी-पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे; और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। 31परन्तु बिना शहरपनाह के गाँवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएँ; उनका छुड़ाना भी हो सकेगा, और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएँ। 32फिर भी लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हों उनको लेवीय जब चाहें तब छुड़ाएँ। 33और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए; क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही हैं। 34पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए; क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा।"

भूमि को बेचने से संबंधित अध्यादेश देने के पश्चात, यहोवा ने घरों को बेचने से संबंधित नियम दिए। प्रत्यक्षतः यह अध्यादेश प्रश्नों, जैसे कि "जुबली के विषय ये नियम मुझ पर क्या प्रभाव डालते हैं यदि मेरे पास भूमि न हो परन्तु मैं अपना घर बेचना चाहूँ?" पर पूर्वानुमान लगाते हैं। घरों को बेचने से संबंधित नियम तीन वर्गों में विभाजित हैं: (1) शहरपनाह वाले नगर के घर, (2) गाँवों के घर, और (3) लेवियों के नगरों के घर।

आयतें 29, 30. यदि कोई इस्राएली किसी **शहरपनाह वाले नगर में** घर को बेचता, तो उसके पास उसे छुड़ाने के लिए एक **वर्ष** का समय होता - या तो वह स्वयं उसे वापस मोल ले या कोई कुटुम्बी उसके लिए उसे छुड़ाए। यदि वह मनुष्य उतने समय में उसे नहीं छुड़ाता, तो वह मोल लेने वाले की स्थायी संपत्ति हो जाता। **जुबली में** भी वह **नहीं छूटता**। ऐसा घर भूमि से भिन्न होता; वह मूल स्वामी

की स्थायी समाप्ति नहीं समझा जाता था। एक वर्ष के छुड़ाने के अधिकार के अतिरिक्त, उसे किसी भी अन्य संपत्ति के समान बेचा और मोल लिया जा सकता था।

आयत 31. इसकी तुलना में बिना शहरपनाह वाले **गाँवों के घरों** को भूमि वाली श्रेणी में रखा गया था, और उन्हें **खेतों** के समान समझा जाता था। उन्हें स्थाई रूप से बेचा नहीं जा सकता था। यदि उन्हें बेचा जाता, तो मूल स्वामियों को **छुड़ाने** का अधिकार था; और यदि उन्हें छुड़ाया नहीं जाता, तो **जुबली में** उन घरों का अधिकार बेच देने वाले के पास फिर आ जाता।

लेख शहरपनाह वाले घरों और गाँवों के घरों में भिन्नता को समझाता नहीं है। संभवतः भिन्नता उन घरों के स्वामियों की आर्थिक स्थिति पर आधारित थी। जो लोग शहरपनाह वाले नगरों में घर रखते थे उनके संपन्न होने की, समाज के ऊपरी वर्ग से होने की, संभावना अधिक थी। उन्हें जीवन की बदलती परिस्थितियों से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यदि ऐसे किसी परिवार को नगर के कोई एक अच्छे घर को बेचना पड़ता, तो वे सरलता से कोई दूसरा घर मोल ले सकते थे। इसके विपरीत, जो गाँवों में रहते थे, उनके निर्धन होने की संभावना अधिक थी। जब वे घर बेचने के लिए बाध्य होते, तो वे बिना पैसे एवं घर के हो जाते; और जुबली के बिना, उन्हें कोई आशा भी नहीं रहती। संभवतः यह नियम एक प्रावधान था जो परमेश्वर द्वारा निर्धनों की सहायता के लिए दिया गया था।

आयतें 32-34. लेवी अपनी ही अलग श्रेणी में थे। बारहों गोत्रों में से प्रत्येक को भूमि का एक भाग दिया गया था,[7] परन्तु लेवी के याजकीय गोत्र को सारे इस्राएल में बिखरे हुए अड़तालीस शहर दिए गए थे (गिनती 35:7; यहोशू 21:41)। लेवियों का कार्य था परमेश्वर की सेवकाई करना, निवास-स्थान की देखभाल करने के द्वारा, जहाँ वे सेवा करते और बलिदान चढ़ाते थे। भूमि पर कार्य करने के द्वारा जीविका कमाने के स्थान पर, उनका भरण-पोषण निवास-स्थान में लाए जाने वाले भेंटों और बलिदानों के द्वारा होता था। (इस सहायता में लेवीय शहरों के साथ जुड़ी भूमि के छोटे टुकड़ों पर कुछ उगने के द्वारा सहयोग मिलता था।) परमेश्वर की योजना थी कि यह व्यवस्था तब तक बनी रहे जब तक वह अपने लोगों से मूसा की व्यवस्था के द्वारा व्यवहार रखता, इसलिए यह स्पष्ट है कि उसने क्यों किसी भी याजकीय भू-संपत्ति के स्थायी रूप से बेचने की अनुमति नहीं दी।

परिणामस्वरूप, **लेवियों के नगरों** के घर बेचे तो जा सकते थे, किन्तु उन **घरों को छुड़ाने का स्थाई अधिकार** लेवियों के पास ही था (25:32)। यदि घर छुड़ाए नहीं जाते, तो **जुबली में** वे मूल स्वामियों के पास फिर जाते (25:33)। चराई की भूमि जो लेवियों के नगरों के बाहर थी वह **उनका सदा का भाग होगा** जिन्हें परमेश्वर ने उसे आरंभ में दिया था (25:34)।

कंगाली से व्यवहार और दासत्व की रोक-थाम (25:35-38)

35"फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु कंगाल हो जाए, और उसकी दशा तेरे सामने

तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको सम्भालना; वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे। [36]उससे ब्याज या बढ़ती न लेना; परमेश्वर का भय मानना; जिससे तेरा भाईबन्धु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। [37]उसको ब्याज पर रुपया न देना, और न उसको भोजनवस्तु लाभ के लालच से देना। [38]मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ; मैं तुम्हें कनान देश देने के लिये और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुम को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ।"

इसके बाद यहोवा ने निर्देश दिए कि यदि कोई इस्राएली कंगाल हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए।

आयत 35. यदि कोई इस्राएली **कंगाल** हो जाए, उसके **संसाधन** समाप्त हो जाएँ, तो शेष इस्राएलियों को उसे **संभालना** था जिससे कि वह अन्य इस्राएलियों के **संग रहने** पाए। दूसरे शब्दों में, उन्हें उसकी देखभाल करनी थी जिससे वह स्वतंत्रता से अपने मित्रों और परिवार के साथ रह सके और उसे दास बनाकर बेचा न जाए जिससे उसे अपने स्वामी के परिवार में जाकर रहना पड़े। उसके भाईबन्धु[8] या साथी इस्राएलियों को, उसकी देखभाल करनी थी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। रोचक है कि कंगाल इस्राएली की देखभाल **परदेशी या यात्री के समान** करनी थी। परमेश्वर के लोगों को अपने मध्य रहने वाले परदेशियों की देखभाल करनी होती थी और अपने कंगालों की भी।

आयतें 36, 37. परमेश्वर ने लोगों को कंगाल मनुष्य की देखभाल करने के साधन दिए: (1) उन्हें उस से कोई **ब्याज या बढ़ती** नहीं लेनी थी। NASB में यहाँ **सूदखोरी** का "ब्याज" आया है, जिसका तात्पर्य है कि ब्याज यदि अत्यधिक न हो तो लेते रह सकते थे।[9] तथ्य यह है कि इस्राएलियों को अपने साथी इस्राएलियों से *कोई भी* ब्याज लेना वर्जित था (निर्गमन 22:25; व्यव. 23:19, 20)।[10] (2) वे उसे **ब्याज पर रुपया** उधार नहीं दे सकते थे। (3) उन्हें उसे भोजन **बेचना** नहीं था, अर्थात वह उसे दिया जाने वाला भोजन बिना किसी कीमत के खाता।

आयत 38. यहोवा द्वारा यह कहने कि मैं **तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ** इस्राएलियों को अपने कंगाल भाई बंधुओं की सहायता करने का प्रोत्साहन देने के लिए था। इस तथ्य से उन्हें स्मरण आया कि उनकी देखभाल यहोवा द्वारा की गई थी, इसलिए उन्हें सहर्ष उनकी सहायता करनी थी जो परमेश्वर के लोग थे।

ये आवश्यकताएं साधारण सी हैं; परन्तु पाठक विचार कर सकता है, "इनका जुबली के साथ क्या संबंध?" जुबली का एक उद्देश्य बंधुओं की रिहाई था - जो बंधुआई में थे, जो दास बना लिए गए थे। यह अध्यादेश दासत्व से संबंधित था, क्योंकि यह परमेश्वर के परिवार के सभी लोगों से अपने साथी इस्राएली को दास बनने से बचाने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न करने की माँग करता था। इस परिच्छेद में दासत्व से बचकर रहने की योजना है।

दासत्व के प्रति व्यवहार (25:39-46)

39"फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। 40वह तेरे संग मज़दूर या यात्री के समान रहे, और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे; 41तब वह बाल-बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए, और अपने कुटुम्ब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए। 42क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ; इसलिये वे दास की रीति से न बेचे जाएँ। 43उस पर कठोरता से अधिकार न करना; अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। 44तेरे जो दास-दासियाँ हों वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हों, और दास और दासियाँ उन्हीं में से मोल लेना। 45जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आस पास हों, और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो; और वे तुम्हारा भाग ठहरें। 46तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे, और वे उनका भाग ठहरें; उनमें से तुम सदा अपने लिये दास लिया करना, परन्तु तुम्हारे भाईबन्धु जो इस्राएली हों उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना।"

क्योंकि जुबली के वर्ष में दासों को स्वतंत्र करना था, यहोवा ने दासत्व के विषय को स्पष्ट किया। इस्राएल में कौन दास बने सकते थे? जुबली के वर्ष में किन दासों को स्वतंत्र किया जाना था? क्या यह इस्राएलियों के लिए उचित था कि वे कुछ दासों पर सदा के लिए स्वामी बने रहते? निम्न आयतें इन प्रश्नों के उत्तर देती हैं।

आयतें 39-43. आयत 39 पिछले परिच्छेद के विषय को जारी रखती है: जब कोई इस्राएली **कंगाल** हो जाता तो क्या होता था? इस स्थिति में, निर्धनता चरम सीमा की थी: विचाराधीन मनुष्य इतना निर्धन था कि औरों के द्वारा उसकी सहायता करने के प्रयास अपर्याप्त होते। परिणामस्वरूप, उसे अपने आप को अपने भाई बंधु के हाथों बेचना पड़ता।

एक बार कोई इस्राएली इस प्रकार से दास या बंधुआ सेवक हो जाए, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए था? जुबली के वर्ष में उसके साथ क्या होना था? यहोवा का सन्देश स्पष्ट था: किसी इस्राएली दास के साथ दास जैसा व्यवहार नहीं किया जाना था। वरन, उसके साथ ऐसा व्यवहार होना था मानो वह **मज़दूर** या **यात्री** है जिसे काम करने के लिए नौकरी पर रखा गया है (25:40)। उस पर **कठोरता से** अधिकार नहीं करना था (25:43)।

दासों के इस्राएली स्वामी और उसके इस्राएली दास के मध्य सम्बन्ध को समझने के लिए, संभवतः सबसे अच्छा होगा कि उन्हें एक ही परिवार के सदस्य समझा जाए; वे भाई थे। यदि एक भाई संपन्न हो और दूसरा इतना निर्धन हो जाए कि उसे अपने आप को अपने संपन्न भाई के हाथों बेचना पड़े, तो उसका संपन्न भाई का उसके प्रति आदर्श व्यवहार क्या होता? वह अपने कंगाल भाई को अपने लिए

कार्य करने तो देता, परन्तु बहुत कठोरता से कार्य करने के लिए उसे बाध्य नहीं करता। वह उसके प्रति दयालु होता, निर्दयी नहीं। वह उसकी आवश्यकताओं के प्रति विचारशील रहता; वह उसका ध्यान रखता। वह अपने भाई से उचित से अधिक नहीं माँगता। वह काम करने वाले अपने भाई के लिए काफ़ी लाभ भी उपलब्ध करवाता। इस्राएली स्वामी द्वारा अपने इस्राएली दास के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, स्वामी को अपने इस्राएली दास को किसी **दास की रीति से** नहीं बेचना था। यदि वह दास की रीति से बेचा जाता तो कोई भी यह नियंत्रण नहीं कर सकता था कि उसे कौन मोल ले लेगा (25:42)। उसे कोई ऐसा मोल ले सकता था जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता, या उसे कोई ऐसा मोल ले सकता था जो उसे जुबली के वर्ष में स्वतंत्र न करे।

संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस्राएली दास को जुबली के वर्ष में स्वतंत्र किया जाना था (25:40)।[11] उसे और उसके **बाल-बच्चों** को अपने पितरों की भूमि और **कुटुंब** में **लौट** जाना था (25:41)।[12]

दासों के इस्राएली स्वामियों को परमेश्वर के नियमों का पालन करने के लिए आग्रह करने के दो कारण दिए गए हैं: (1) जिस इस्राएली दास का वह स्वामी थी वह वास्तव में परमेश्वर की संपत्ति था। परमेश्वर उसे **मिस्र देश से निकाल लाया** कि वे उसकी ही संपत्ति हो (25:42)। (2) दासों के स्वामी को **परमेश्वर का भय** मानते रहना था - उसके प्रति श्रद्धा रखनी थी, उसका आदर करना और भय मानना था (25:43)। जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखेगा, वह उसकी संपत्ति के प्रति भी आदर का व्यवहार रखेगा; वह जान-बूझ कर उसका, जिसे यहोवा ही ने छुड़ाया हो और अभी भी जिसका स्वामी हो, निरादर करना, तुच्छ जानना, उसको चोट पहुँचाना, ऐसा नहीं करेगा!

आयतें 44, 45. गैर-इस्राएली दासों का क्या होना था? इन आयतों में यहोवा ने ऐसे **दासों** के संबंध में दो प्रश्नों का उत्तर दिया। (1) क्या इस्राएली ऐसे **दासों** के स्वामी हो सकते थे? उत्तर था "हाँ।" (2) वे उन्हें कैसे **मोल** लेते? वे या तो उनके **चारों ओर की जातियों** में से हों, या फिर **यात्री लोग जो तुम्हारे बीच में परदेशी** होकर रहेंगे, उनमें से हों - अर्थात वे यात्रियों की संतानों में से मोल ले सकते थे। ये वे बच्चे थे जिनका जन्म इस्राएल देश में तो हुआ था, परन्तु वहाँ रहने वाले परदेशियों द्वारा **उत्पन्न** (या "जन्मे") हुए थे।

आयत 46. जो अगला प्रश्न उठा वह था, कि इस्राएली स्वामी जिन दासों को रखते थे, क्या वे सदा के लिए उनके थे या उन्हें जुबली के वर्ष में छोड़ा जाना था? परमेश्वर का उत्तर था कि गैर-इस्राएली **दास** सदा के लिए इस्राएली स्वामी के थे। गैर-इस्राएली दासों को अपने पुत्रों का **भाग** भी किया जा सकता था; दासों के इस्राएली स्वामी की वे स्थायी **संपत्ति** हो गए थे। इसकी तुलना में, परमेश्वर पहले ही कह चुका था कि इस्राएली दास को केवल "जुबली के वर्ष तक ही" सेवा करनी थी (25:40)।

आयत 43 की भाषा को दोहराते हुए, परमेश्वर ने बल देकर कहा कि इस्राएली

दास के साथ कैसा व्यवहार किया जाना था: उसके स्वामी को उसके ऊपर अपना अधिकार **कठोरता से** नहीं जताना था। एक भाई को दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना था, चाहे वह दास के रूप में उसका स्वामी था।

कंगालों को छुड़ाना (25:47-55)

47"फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए, और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, 48तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है; उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, 49या उसका चाचा, या चचेरा भाई, तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुम्बी उसको छुड़ा सकता है; या यदि वह धनी हो जाए, तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। 50वह अपने मोल लेनेवाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात् वह दाम मज़दूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। 51यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाएँ, तो जितने रुपयों से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। 52यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हों, तौभी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। 53वह अपने स्वामी के संग उस मज़दूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मज़दूरी ठहराई जाती हो; और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। 54और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए, तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल-बच्चों समेत छूट जाए। 55क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास हैं; वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास हैं; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।"

कंगाल इस्राएलियों के प्रति व्यवहार के नियमों की इस श्रृंखला में अंतिम संभावना उस इस्राएली की है जिसने अपने आप को गैर-इस्राएली को बेचा हो।

आयतें 47-49. परमेश्वर ने समस्या (जिसके लिए वह समाधान प्रदान करेगा) का स्पष्टीकरण **यदि** के साथ किया। यदि कोई **यात्री** (कोई गैर-इस्राएली, एक प्रवासी परदेशी) देश में इतना संपन्न हो जाता कि उसके पास दास खरीदने के लिए संसाधन हो जाते; और यदि कोई इस्राएली इतना कंगाल हो जाता कि वह अपनी देखभाल नहीं कर पाता और जीवित रहने के लिए उसे अपने आप को दास बनाकर बेचना पड़ता; और यदि वह यात्री (या उसके वंश का कोई) उस इस्राएली को मोल ले ले, तब कौन से नियमों को लागू करना था? मूल नियम था कि जो इस्राएली दास के रूप में **बेचा गया**, उसके पास **छुड़ाए जाने का अधिकार** था। वह दासत्व से लौटाया जा सकता था और अपनी स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर लेता।

उसको छुड़ाने के लिए, या दासत्व से वापस मोल लेने के लिए कौन योग्य था? दो संभावनाओं को प्रस्तुत किया गया। (1) कोई निकट का कुटुम्बी छुड़ाने के

अधिकार का प्रयोग कर सकता था - **उसके भाइयों में से कोई, या उसका चाचा, या चचेरा भाई**, या उसके कुल का **कोई भी निकट कुटुम्बी** उसको छुड़ा सकता था। (2) वह स्वयं अपने आप को छुड़ा सकता था, मोल लेने वाले को धन देने के द्वारा अपनी सही कीमत के अनुसार। ऐसा करने के लिए, उसे अपने दासत्व के दौरान स्वयं संपन्न होना था।[13]

आयतें 50-52. यदि कोई (चाहे कोई कुटुम्बी या इस्राएली स्वयं) छुटकारे के अधिकार का प्रयोग करता, तो उसे उस इस्राएली के लिए, जिसने **अपने आप को** परदेशी के हाथों **बेच दिया** था, कितना दाम चुकाना था? जिस प्रकार का नियम भूमि के छुटकारे के लिए लागू होता था वैसा ही व्यक्ति के **छुटकारे** के लिए भी लागू होता था। जिस प्रकार से भूमि जो बेची जाती थी वह स्थायी रूप से मोल लेने वाले की नहीं हो जाती थी, वरन, लंबे अंतराल के लिए, एक प्रकार से, उसे पट्टे पर दी जाती थी, उसी प्रकार से जो व्यक्ति दूसरे को बेचा जाता था, यह भी वास्तव में उसे केवल किराए पर दिया जाता था। वह उसके साथ **मज़दूर** बनकर, उसकी सेवा के लिए निर्धारित की गई समय सीमा के अनुसार, काम करने के लिए रहने जाता था। वह मोल लेने वाले के लिए दास के रूप में केवल **जुबली के वर्ष** तक काम कर सकता था। उस समय, उसे छोड़ दिया जाता, और वह अपने परिवार को लौट जाने के लिए स्वतंत्र था।

इस स्थिति के होते हुए, उसके छुटकारे के दाम किस प्रकार से निर्धारित किए जाते? भूमि के समान, दाम का निर्धारण, अगली जुबली तक के **वर्षों की गिनती** के अनुसार होना था। यदि, उदाहरण के लिए, पचास वर्षों के चक्र में वह अपने आप को बीसवें वर्ष में $3000 के लिए बेचता, और उसे चक्र के तीसवें वर्ष में छुड़ा लिया जाता, उसके छुटकारे का दाम $2000 होता। जो व्यक्ति छुटकारे का दाम चुकाएगा वह इस्राएली दास के स्वामी को उतना देगा जितना उसने मोल लेते समय दिया था, और उसमें से दस वर्ष, जितने वर्ष यह उसका स्वामी रहा था, के काम की कीमत को कम कर लेगा।

आयत 53. लेख अतिरिक्त जानकारी देता है कि परदेशी को, इस्राएलियों के समान, इब्रानी दास के साथ दयालुता के साथ व्यवहार करना था। उसके साथ दास के समान व्यवहार नहीं करना था, वरन, **उस मज़दूर के समान जिसकी वार्षिक मज़दूरी ठहराई जाती हो**; और उसके ऊपर **कठोरता से अधिकार न जताने पाए**। यह ध्यान रखते हुए कि यह सन्देश उस यात्री या परदेशी के लिए था जिसके पास इस्राएली दास था, कोई विचार कर सकता है, "किसी परदेशी के लिए - वह जिसने इस्राएल के विश्वास को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है - इन नियमों के पालन द्वारा क्या लाभ होता?" तथ्य यह है कि इन परदेशियों को इस्राएलियों के मध्य में रहने की अनुमति केवल परमेश्वर के अनुग्रह से थी, जो चाहता था कि इस्राएल उनके साथ भलाई का व्यवहार करे। प्रत्युत्तर में, उनसे इस्राएल के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। यदि वे उन नियमों का पालन करने से इनकार करते - उदाहरण के लिए, यदि वे इन नियमों के जो इस्राएलियों को दास बनाकर रखने पर लागू होते थे, अनाज्ञाकारी होते - तो वे इस्राएल में रहने के अपने

विशेषाधिकार को गँवा सकते थे। इसलिए उनके पास अपने इस्राएली दासों के संदर्भ में, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के भले कारण थे।

आयत 54. एक अंतिम संभावना, जो गैर-इस्राएली स्वामी के पास इस्राएली दास के होने की थी, वह थी कि कोई भी - न तो वह स्वयं और न ही कोई कुटुम्बी - छुटकारे के दाम स्वामी को देकर उसे छुड़ाने पाता। उस स्थिति में, जब **जुबली का वर्ष** आता, तब उसे स्वतंत्र किया जाना था और उसे अपने परिवार के पास लौट जाने की अनुमति मिल जानी थी, जैसे कि अन्य इस्राएली दासों को। छुटकारे, छोड़े जाने, और जुबली के नियम परदेशियों (परदेशी या अप्रवासी विदेशियों) पर भी, देश में जिनके पास दास थे, उसी प्रकार लागू होते थे जैसे इस्राएलियों पर।

आयत 55. परमेश्वर ने जुबली के वर्ष में छुटकारे के अपने नियमों का निष्कर्ष लोगों को यह स्मरण करवा कर दिया कि वह क्यों चिन्तित था कि जो दासत्व में बेचे जाएँ वे उस समय छुटकारा पाएँ: क्योंकि वे उसके थे! वे मात्र उनको मोल लेने वाले लोगों के दास या मज़दूर नहीं थे; वरन, वे उसके **दास** थे, जिन्हें उसने **मिस्र** के दासत्व से छुड़ाया था।

अध्याय 25 में इस्राएल द्वारा इन विशेष वर्षों का मनाया जाना

दोनों, विश्राम वर्ष और जुबली के वर्ष के साथ आकर्षक संभावनाएं थीं। उनकी सहायता से फलवन्त, संपन्न, दयालु, और परमेश्वर का भय मानने वाला समाज बनाने में सहायता मिलती। परन्तु, क्या यहूदियों ने वास्तव में इनका पालन किया, या फिर ये नियम शीघ्र ही बिसरा दिए गए? अपने आरंभिक प्रण, कि जो भी परमेश्वर आज्ञा देगा वे उसका पूर्णतः पालन करेंगे (निर्गमन 19:8), के होते हुए भी, इस्राएली बहुधा परमेश्वर के नियमों को भूल जाते थे, या उनकी अवहेलना करते थे, या ढिठाई से अनाज्ञाकारिता करते थे।

यद्यपि ये पवित्र समय, शेष पुराने नियम में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाते हैं, कुछ प्रमाण हैं कि इस्राएलियों ने उनको निभाया। लॉरेंस एच. शिफ़्फ़मैन ने लिखा,

> दूसरे मंदिर के समय में विश्राम वर्ष के मनाए जाने (ईसा पूर्व पचासवीं शताब्दी के दूसरे भाग से 70 ई.) [नहेम्याह 10:31], और [1 मैक्काबी 6:49, 53] द्वारा प्रमाणित होता है, और जुलियस सीज़र द्वारा विश्राम वर्ष में यहूदियों के कर देने से छूट के द्वारा (जोसेफ़स *एंटीक्वीटीज़* 14.202)।[14]

नहेम्याह के हवाले के अतिरिक्त, विश्राम वर्ष और जुबली के वर्ष का पेंटाटुक में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है; परन्तु, जैसे आर. के. हैरिसन ने ध्यान दिलाया, मूसा की व्यवस्था के द्वारा अनिवार्य अधिकांश उत्सवों का भी उल्लेख नहीं है। उसने कहा कि ऐसा होने का "सबसे अधिक संभावित स्पष्टीकरण" है कि "ये अवसर राष्ट्रीय जीवन के इतने सामान्य भाग थे कि इनका होना मान लिया जाता था, और इसलिए इन्हें विशेष उल्लेख के लिए चुना नहीं गया था।"[15]

इसलिए हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए, कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को इन वर्षों के विषय नियमों को दिया, तो लोगों ने उनका पालन किया, यद्यपि, जैसा पेंटाटुक के अन्य नियमों के साथ हुआ, लोग उन्हें निभाने में या तो कभी-कभी चूक जाते थे या जैसा परमेश्वर ने कहा था उन्हें बिलकुल वैसा नहीं निभाने पाते थे। बाइबल की व्याख्या करने वाले व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर द्वारा नियम देने का यह अर्थ नहीं था कि उसका सही प्रकार से पालन होता ही था।

अनुप्रयोग

मूसा की व्यवस्था और आर्थिक समानता (25:8-55)

निःसंदेह, भूमि के प्रति पचास वर्ष अपने मूल स्वामी के पास फेर देने के नियम का परिणाम इस्राएल में आर्थिक समानता होता। इससे क्या यह निष्कर्ष लगाना चाहिए कि परमेश्वर इस्राएल को आज्ञा दे रहा था कि वे एक ऐसा समाज बनें जिसमें सभी आर्थिक रूप से समान हों?

इसका उत्तर "नहीं" होना चाहिए। चोरी करने को वर्जित करने के द्वारा व्यवस्था निज संपत्ति के अधिकार की रक्षा करती थी। यह इस का अंगीकार करती थी कि कुछ निर्धन होंगे, और उनके जीवित रहने के लिए प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त, जब गोत्रों को उनकी भूमि दी गई थी तब इस्राएली समान संख्या में नहीं थे। यदि सब को एक ही समान भूमि दी भी गई होती (ऐसा हुआ भी होगा यह संदेहास्पद है), उनके भाग भिन्न थे। कुछ खेत औरों की तुलना में अधिक उपजाऊ रहे होंगे, और अवश्य ही कुछ किसान औरों से अधिक सफल रहे होंगे। जुबली से पहले और बाद दोनों में, व्यवस्था में यह अनुमान लगाया गया कि समाज में कुछ लोग धनी और कुछ निर्धन रहेंगे ही।

जुबली के नियम समाज को अधिक समान बनाते थे। व्यवस्था की चिन्ता प्रत्येक को एक समान बनाने की नहीं था, परन्तु प्रत्येक को जीवित रहने के लिए साधन उपलब्ध करवाना थी। यह उद्देश्य तब पूरा होता जब धनी उदार तथा गरीबों के प्रति दयालु होते।

"छुटकारे का प्रचार करो!" (25:10)

परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिए कि इस्राएलियों से कहे,

> "और उस पचासवें वर्ष को पवित्र मानना, और देश के सारे निवासियों के लिये छुटकारे का प्रचार करना; वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए; उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे" (25:10; NRSV).

यह आयत जुबली के वर्ष के विषय कुछ मूल तथ्य प्रस्तुत करती है। यह पचासवें वर्ष में होता था, इसको "पवित्र" या यहोवा के लिए समर्पित होना था; और इसे ऐसा समय होना था जब "स्वतंत्रता" ("छुटकारे"; NASB) की घोषणा की जाती।

यह छुटकारा भूमि के लिए था, क्योंकि भूमि को उसके मूल स्वामियों के पास फेर देना था। यह लोगों के लिए भी था, क्योंकि दासों को मुक्त किया जाता था और उन्हें अपने परिवारों के पास लौट जाने की अनुमति थी।

"छुटकारे का प्रचार करो!" यह विचार तो हमें भी रोचक लगता है। हर कोई स्वतंत्रता का आनन्द लेना चाहता है; हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं!

मनुष्यों के अन्दर निहित स्वतंत्रता की स्वाभाविक अभिलाषा के उदाहरण के लिए लगभग 250 वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो हुआ उस पर विचार कीजिए। जो लोग इंग्लैण्ड के उपनिवेशों में रहते थे उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वतंत्र होना चाहते हैं। उनकी इस तीव्र उत्कंठा को पैट्रिक हेनरी ने व्यक्त किया, जिसने एक भाषण में घोषणा की, "या तो मुझे स्वतंत्रता दो, या फिर मृत्यु दो!" उपनिवेशों की अशान्ति के परिणामस्वरूप, 4 जुलाई 1776 को इंग्लैण्ड के तेरह उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, और ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया। इसके बाद भी कई वर्षों के खून-खराबे के पश्चात, अन्ततः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने स्वतंत्रता के युद्ध से एक स्वतंत्र देश बनकर निकल कर आया! उस समय घोषणा करने वाले लैव्यव्यवस्था 25:10 के शब्दों: "देश के सारे निवासियों के लिये छुटकारे का प्रचार करना" (NRSV) की घोषणा कर सकते थे। उस समय से लेकर आज तक, अमरीकियों ने अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाया है - उनकी स्वतंत्रता, उनका छुटकारा - चार जुलाई को।

छुटकारे की घोषणा करो: मसीह यीशु के द्वारा। एक अन्य ऐतिहासिक घटना जिस दिन, एक प्रकार से, स्वतंत्रता की घोषणा की गई, दो हज़ार वर्ष पहले हुई थी। एक स्वर्गदूत बैतलहम नगर के निकट चरवाहों के सामने प्रकट हुआ और कहा, "तब स्वर्गदूत ने उन से कहा, मत डरो; क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनन्द का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिये होगा। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है।" फिर स्वर्गदूतों के एक दल ने स्तुतिगान गाया, "कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो" (लूका 2:10, 11, 14)।

यीशु का जन्म छुटकारे के समय की घोषणा होने का संकेत था क्योंकि वह पृथ्वी पर लोगों को स्वतंत्र करने के लिए आए थे! अपनी सेवकाई को आरंभ करने के कुछ ही समय के उपरांत, नासरत के एक आराधनालय में उन्होंने यशायाह से यह खण्ड पढ़ा: "उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया है ... बंदियों को छुटकारे का और अन्धों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं" फिर उसने आगे कहा, "तब वह उन से कहने लगा, कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है" (लूका 4:18, 21; देखिए यश. 61:1, 2)। दूसरे शब्दों में, यहूदी एक मसीहा की बाट जोह रहे थे जो उन्हें स्वतंत्र कर देगा; और यीशु ने कहा, "तुम्हारे छुटकारे की घोषणा करने वाला मैं हूँ!"

यीशु ने इस बिंदु पर और भी अधिक स्पष्टता से ज़ोर दिया जब बाद में उन्होंने कहा "तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा" (यूहन्ना 8:32)। यीशु ने

स्वयं के लिए दावा किया कि वही "सत्य" हैं (यूहन्ना 14:6)। स्वतंत्र होने के लिए, व्यक्ति को यीशु की ओर मुड़ना है और जो वचन उसने कहे थे उन्हें सुनना तथा उनका पालन करना होगा। जब कोई यीशु के सत्य को सुनता है तथा उसका आज्ञाकारी होता है, तब वह सत्य उसे स्वतंत्र कर देता है!

छुटकारे की घोषणा करो: पाप से। यूहन्ना 8:32 का कथन प्रश्न उठाता है "किस से स्वतंत्र?" यहूदियों की समझ में नहीं आया कि यीशु क्या कह रहे थे। वे रोमी शासन से स्वतंत्र होना चाहते थे, परन्तु यीशु पृथ्वी के स्वामियों से स्वतंत्र करने की बात नहीं कर रहे थे। नए नियम के समय में, जब दास मसीही बनते थे, तब भी वे दास ही रहते थे (इफि. 3:26-28) परन्तु आत्मिक रीति से स्वतंत्र हो जाते थे। यहूदियों ने नहीं समझा - और इसे बहुत से लोग आज भी नहीं समझते हैं - कि प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे स्वतंत्र हो अथवा दास, सब ने पाप किया है और इसलिए पाप के दास हैं। यीशु ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया: "जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है" (यूहन्ना 8:34)। यीशु हमें पाप के दासत्व से मुक्त करते हैं।

यह सुसमाचार है! हम अपने पाप-दोष के बोध के बिना जन्म लेते हैं। किसी समय पर आकर हम जान-बूझकर परमेश्वर द्वारा वर्जित काम को करने के द्वारा या परमेश्वर द्वारा आज्ञा दिए हुए को नहीं करने के द्वारा पाप करना आरंभ कर देते हैं। उस समय हम जैसा यीशु ने कहा, "पाप के दास" बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम शैतान के दास बन जाते हैं। हम यह विचार रख सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं; हम अपने आप को नैतिक नियमों के संकीर्ण बंधनों और धार्मिक दायित्वों की बोझिल आज्ञाकारिता से मुक्त अनुभव कर सकते हैं, परन्तु वास्तव में हम अपनी ही वासनाओं के दास होते हैं, पाप के दास, और शैतान के दास।

जो कोई इस बात का विश्वास नहीं करता है कि पाप दास बना लेता है, उसे लत लगे हुए व्यक्ति से पूछना चाहिए कि पीना छोड़ने का या मादक पदार्थों के सेवन की लत को छोड़ने का प्रयास करना कैसा होता है। ऐसी लत से छूट कर निकल पाना बहुत कठिन होता है। लतें बेड़ियों के समान होती हैं जो व्यसनी व्यक्ति को बाँधे रखती हैं, और वह अपने आप को उन बेड़ियों से छुड़ाने नहीं पाता है। पाप भी ऐसा ही है। वह हमें दास बना लेता है। जब हम एक बार पाप करते हैं, तो हमारे उसे फिर से करने की संभावना बनी रहती है। जब हम बारम्बार पाप करते चले जाते हैं तो वह पाप शीघ्र ही हमारी आदत बन जाता है। अन्ततः वह लत बन जाता है। व्यक्ति गाली-गलौज करने, व्यभिचार, पेटूपन, अहंकार, प्रेम पूर्वक नहीं वरन घृणा के साथ व्यवहार करने आदि बातों का आदी बन जाता है। जब वह ऐसी लत के अनुभवों में पड़ जाता है, तो वह पाप का दास है।

जब हम पाप करते हैं, हम पाप के दास हैं - चाहे हम इसकी पहचान करने पाएँ या नहीं। पाप हमारा स्वामी है, परन्तु वह अपने सेवकों के प्रति उदार होता है। वह पापी से उसकी मज़दूरी कभी नहीं रख छोड़ता। पाप क्या मज़दूरी चुकाता है? पौलुस ने हमें बताया: "पाप की मज़दूरी तो मृत्यु है" (रोमियों 6:23; देखिए 6:21)। पाप अपने दासों को अनन्त आत्मिक मृत्यु देता है, पापियों को परमेश्वर और स्वर्ग की आशीषों से सदा के लिए पृथक कर देता है!

इसीलिए यीशु का आगमन इतना अच्छा सुसमाचार है। यह केवल इसलिए नहीं कि वे एक श्रेष्ठ नैतिक विधि संहिता पृथ्वी पर लेकर आए थे। यह केवल इस लिए भी नहीं है कि उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया कि हमारे साथ के मनुष्यों के प्रति प्रेम रखना किसी कहते हैं। यह इसलिए भी नहीं है कि वे शहीद हुए, और आती पीढ़ियों के लिए आत्म-बलिदान का उच्चतम उदाहरण छोड़ गए। यह इसलिए नहीं है कि उन्होंने अद्‌भुत शिक्षाएँ दीं या निर्धनों के प्रति अनुकम्पा रखने और पापियों से प्रेम रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। यीशु के आगमन पर हमारे आनन्दित होने का प्राथमिक कारण है कि उन्होंने पाप के दासत्व से मुक्ति की घोषणा की। उनके और उनकी मृत्यु के कारण किसी को भी पाप के अनन्त दण्ड को भोगने की आवश्यकता नहीं है।

छुटकारे की घोषणा करो: आज्ञाकारिता के द्वारा। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि (1) वह पाप के दासत्व में है, पाप में मृतक है, और अनन्त मृत्यु उसकी नियति है, और (2) यीशु उसे पाप के दासत्व से छुड़ाने आए थे, तो उसे पुकार उठना चाहिए, जैसे पिन्तेकुस्त के दिन लोग पुकार उठे थे "हम क्या करें?" पतरस का उत्तर प्रेरितों के काम 2:38 में दर्ज है: "मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।"

पौलुस ने रोम के अपने पाठकों को स्मरण कराया कि उन्हें पाप से स्वतंत्र किया गया है और अब उन्हें उसमें और नहीं जीना है। यह मसीहियों द्वारा समावेश करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। मसीही बनने पर व्यक्ति के जीवन में एक महान परिवर्तन आ जाता है। मृतक होने से जीवित होने, पाप का दास होने से धार्मिकता का दास होने का परिवर्तन होता है।

क्या है जो इस परिवर्तन को लाता है? पौलुस ने इस प्रश्न का प्रेरणापूर्ण उत्तर रोमियों 6:16-18 में दिया:

> क्या तुम नहीं जानते, कि जिस की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो: चाहे पाप के, जिस का अन्त मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, जिस का अन्त धार्मिकता है परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिस के सांचे में ढाले गए थे। और पाप से छुड़ाए जा कर धर्म के दास हो गए।

इन रोमियों को कब और कैसे इस महान परिवर्तन ने पाप के दासों से धार्मिकता के दास में बदल दिया? यह तब हुआ जब वे "मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए" जो सिद्धान्त उन्होंने ग्रहण किया था। जब उन्होंने सुसमाचार की आज्ञाकारिता की, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें देखते हुए उनपर स्वतंत्रता की आज्ञा दी: "यह व्यक्ति जो पाप का दास था, अब पाप से स्वतंत्र है। वह अब मेरी सन्तान है!"

छुटकारे की घोषणा करो: जब व्यक्ति का बपतिस्मा हो। क्या कोई विशिष्ट बिन्दु है जब यह परिवर्तन होता है, जब परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर व्यक्ति

को मसीह के लहू के द्वारा बचाता है? हाँ, यह बिन्दु वह है जब प्रेरितों "द्वारा दी गई शिक्षाओं" की आज्ञाकारिता की जाती है - परन्तु इसका अर्थ क्या है?

रोमियों 6 के आरंभ में, पौलुस ने कहा कि बपतिस्मा के समय व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और वह फिर से जिलाया जाता है। उसने कहा कि हमने "मसीह का बपतिस्मा लिया" और "उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया" (रोमियों 6:3); यह कि हम बपतिस्मा में "मसीह के साथ गाड़े गए" और "नए जीवन की सी चाल चलने" के लिए जिलाए गए (रोमियों 6:4); यह कि जब हमारा बपतिस्मा होता है तब "हमारा पाप का शरीर व्यर्थ हो जाता है" और हम "पाप के दासत्व" में नहीं रहते (रोमियों 6:6; देखें 6:7)। इसलिए जब कोई मसीह यीशु में विश्वास लाता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने विश्वास का मनुष्यों के सामने अंगीकार करता है, और तब मसीह में बपतिस्मा लेता है, तब एक परिवर्तन हो जाता है। उस बिन्दु पर, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, मसीह के लहू की सामर्थ्य से, वह अपने पापों के दासत्व की स्थिति का मसीह में स्वतंत्र होने की स्थिति के साथ अदला-बदली कर लेता है।

जब व्यक्ति बपतिस्मा के जल में से बाहर आता है, तब यह कहना उचित होता है, "छुटकारे की घोषणा करो! यह व्यक्ति अब से पाप या शैतान का दास नहीं है! यह पाप से मुक्त है; वह परमेश्वर की सन्तान है और धार्मिकता का दास है!"

छुटकारे की घोषणा करो: अभी इसी समय! मसीहियों के पास बाँटने के लिए सुसमाचार है: स्वतंत्रता, या मुक्ति संभव है क्योंकि मसीह आया है। वह सब को उद्धार, या पाप से मुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव देता है!

हमारा सुसमाचार जुबली के वर्ष के आरंभ में घोषित की जाने वाली स्वतंत्रता से अधिक अच्छा है। उन लोगों को अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए पचासवें वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब किसी को भी पाप से मुक्ति पाने के लिए जुबली के वर्ष तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुसमाचार की आज्ञाकारिता के लिए तैयार है वह अभी, इसी समय स्वतंत्र हो सकता है।

दासत्व के बारे में क्या? (25:39-46)

आज बहुत से पाठक अचरज करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों में दासत्व को कैसे सहन कर सकता था। क्योंकि दासत्व का विचार हमें अप्रसन्न करता है, इसलिए हम अचरज करते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को इसे करने कैसे दिया। मूसा की व्यवस्था में ऐसे नियम थे जो दासत्व के दुष्प्रभावों को कम करते थे, परन्तु उसे वर्जित करने वाला कोई नियम नहीं था। इस तथ्य से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? हमें दासत्व से संबंधित परमेश्वर के नियमों को समझने के लिए, रॉय गेन ने तीन मुख्य अंतर्दृष्टि प्रस्तावित कीं।

पहली, परमेश्वर ने दासत्व की प्रथा आरंभ नहीं की। बहु-विवाह और तलाक के समान, दासत्व का आरंभ मनुष्य के पतन के द्वारा हुआ। व्यवस्था में परमेश्वर ने ऐसी प्रथाओं को नियंत्रित किया जिससे उनके बुरे प्रभाव कम हो सकें (निर्गमन 21:7-11; लैव्य. 18:18; व्यव. 21:15-17; 24:1-4)। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के

द्वारा, परमेश्वर ने यरूशलेम के उन यहूदियों की भर्त्सना की जिन्होंने व्यवस्था के अनुसार उन्हें मुक्त करने के पश्चात फिर से दास बना लिया था (यिर्म. 34:12-22)।

दूसरी, परमेश्वर अधिकाँशतः अपने सत्य प्रगतिशील रूप में प्रगट करता है। उदाहरण के लिए, उसने दो बहनों के साथ याकूब के विवाह को सहन किया (उत्पत्ति 29) परन्तु बाद में इसी प्रथा को वर्जित किया (लैव्य. 18:18)। व्यवस्था में दासों के प्रति मानवोचित व्यवहार में प्रगतिशीलता प्रगट है। निर्गमन 21 में पाए जाने वाले नियमों से आगे, व्यवस्थाविवरण महिला दासों के छुटकारे का विशेष उल्लेख करती है (व्यव. 15:12) जिसमें स्वामी के द्वारा दास को स्वतंत्र किए जाने के लिए यह, दया भावना की सूचक, आज्ञा सम्मिलित है "वरन अपनी भेड़-बकरियों, और खलिहान, और दाखमधु के कुण्ड में से उसको बहुतायत से देना; तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना" (व्यव. 15:14)।

तीसरी, इस्राएलियों के कृषि पर निर्भर कबायली समाज होने के कारण, परमेश्वर ने ऋण से संबंधित सेवा की अनुमति दी जिससे लोग जीवित रह सकें। यदि कठिनाई के समय में लोगों को कुटुम्बियों से सहायता नहीं मिलने पाती, तो उन्हें भूखे मरने से बचाए रखने के लिए ऋण के बदले सेवा भी एक विधि थी। यह दो में से कमतर बुराई थी।[16]

प्रथम शताब्दी के सँसार में भी दासत्व एक वास्तविकता थी। नए नियम में भी यह प्रथा वर्जित तो नहीं थी, परन्तु निश्चय ही इसे नियंत्रित रखा गया था। मसीही स्वामियों को यह निर्देश थे कि वे अपने दासों के साथ "न्याय और ठीक ठीक व्यवहार" करें (कुलु. 4:1) और "धमकियाँ देना छोड़ दें" (इफि. 6:9)। फिलेमोन को, विशेषकर के निर्देश दिया गया कि वह उनेसिमुस के साथ, जो एक नया मसीही था, "अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे" (फिलेमोन 16)। इस दृष्टिकोण ने हाल की शताब्दियों में दासत्व को समाप्त करवाया है।[17]

समाप्ति नोट्स

[1]कोय डी. रोपर, *निर्गमन*, ट्रुथ फ़ॉर टुडे कमेन्ट्री (सर्ची, आर्क.: रिसोर्स पब्लिकेशन्स, 2008), 385 में निर्गमन 23:10, 11 की व्याख्या देखें। [2]"अपने आप से उगे" (סָפִיחַ, *सपियक)* के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द का शब्दार्थ होता है "गिरी हुई गुठलियों से उपजा।" इसे NKJV अनुवाद करती है "जो अपने आप उगता है," और ESV में आया है "जो स्वतः उगा।" [3]यह खण्ड किसान द्वारा अपनी उपज की विधिवत कटाई करने (मज़दूरों के प्रयोग के द्वारा, जो दक्षतापूर्वक कार्य करके, परिणामों को ध्यानपूर्वक तौलते और "बांधते" थे) और व्यक्तियों द्वारा बेतरतीब ढंग से फल और अनाज को बिना देखभाल के खेतों और बगीचों से तोड़े जाने में भिन्नता करता है। संभवतः प्रमुख भिन्नता है कि व्यवस्था किसान को उपज की कटाई करके उसे बेचना वर्जित करती थी। [4]लॉरेंस एच. शिफ़्फ़मैन, "जुबली," *हार्पर्स बाइबल डिक्शनरी*, एड. पौल जे. एकटेमियर (सैन फ्रांसिस्को: हार्पर एंड रो, 1985), 511. [5]गौर्डन जे. वैन्हैम, *द बुक ऑफ़ लैव्यव्यवस्था*, द न्यू इंटरनेशनल कॉमेन्ट्री ऑन द ओल्ड

टेस्टामेंट (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैंस पब्लिशिंग कम्पनी, 1979), 319. [6]रौए गेन, *लैव्यव्यवस्था, गिनती*, द एनआईवी एप्लिकेशन कॉमेन्ट्री (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: ज़ौन्डरवैन, 2004), 434-35; जेकब मिलग्रोम, "द बुक ऑफ़ लैव्यव्यवस्था" *द इन्टरप्रैटर्स वन-वॉल्यूम कॉमेन्ट्री ऑन द बाइबल*, एड. चार्ल्स एम. लेमौन (नैशविल्ले: एबिन्गडन प्रैस, 1971), 83 में से अनुकूलित। [7]संख्या "बारह" यूसुफ को एप्रैम और मनश्शे के गोत्रों में विभाजित कर देने के द्वारा सही होती है। इसकी चर्चा को कोय डी. रोपर, *गिनती*, ट्रुथ फ़ॉर टुडे कमेन्ट्री (सर्ची, आर्क.: रिसोर्स पब्लिकेशन्स, 2012), 29 में देखें। [8]फिर से, पारिभाषिक शब्द "भाईबन्धु" (*'ऐच*, शब्दार्थ "भाई") प्रयोग हुआ है। सभी इस्राएली परमेश्वर के परिवार में "भाई" थे। [9]"सूदखोरी" उसी मूल शब्द से है जिससे "सूद" है, जो अत्याधिक या अवैध ब्याज के लिए है। [10]इब्रानी लेख का एक और भी अधिक शब्दार्थ वाला अनुवाद है "उससे ब्याज या बढ़ती मत लेना" (देखें NIV)। यदि कोई इस्राएली किसी कंगाल भाईबंधु को ऋण देता तो उसे कोई ब्याज नहीं लेना था। आर. लेयर्ड हैरिस परिच्छेद को भिन्न देखते हैं, यह मानते हुए कि कंगाल इस्राएली को ऋण देने वाला उसे "पकड़ कर" उससे अपने लिए काम करवा सकता था, परन्तु जो उसकी तरफ़ बकाया था उसपर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लेना था। (आर. लेयर्ड हैरिस, "लैव्यव्यवस्था," *द एक्सपोज़िटर्स बाइबल कॉमेन्ट्री*, वोल. 2, *उत्पत्ति - गिनती*, एड. फ़्रैंक ई. गएबैलिन [ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: ज़ौन्डरवैन पबलिशिंग हाउस, 1990], 639.)

[11]निर्गमन 21:2 और व्यवस्थाविवरण 15:12 संकेत देते हैं कि इब्रानी दास को, "जुबली के वर्ष" की प्रतीक्षा करने के स्थान पर, सातवें वर्ष में स्वतंत्र किया जाना था। इन परिच्छेदों और लैव्यव्यवस्था 25 के मध्य भिन्नताओं को समझाने के लिए विभिन्न स्पष्टिकरण दिए गए हैं। एक संभावना है कि स्वतंत्र कर देने का समय स्वामी द्वारा दास को प्राप्त करने की विधि पर निर्भर होता था। लैव्यव्यवस्था एक ऐसे कंगाल व्यक्ति के संबंध में है जिसने अपने आप को इसराली भाईबंधु को बेचा हो; अन्य दो परिच्छेद उसकी बात करते हैं जिसने एक इब्रानी दास को मोल लिया हो। जब एक इस्राएली अपने आप को किसी अन्य इस्राएली के हाथों बेच देता था, तो फिर वह इस्राएली उसे अपने किसी अन्य भाईबंधु के हाथों बेच सकता था। यद्यपि दासों के स्वामी दासों को, अन्य दासों की रीति के अनुसार, तो नहीं बेच सकते थे, लेकिन उसे किसी अन्य इस्राएली के हाथों बेचने के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। यदि वह ऐसा करता भी, तो भी वह दास छः वर्ष के समापन पर स्वतंत्र हो जाता, जुबली के वर्ष तक प्रतीक्षा करने के स्थान पर। [12]उसके "बाल-बच्चों" का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि किसी इस्राएली और उसकी पत्नि के दासत्व या बंधुआ-सेवक होने के समय में बच्चे होते तो उनका स्वामी उनपर उसके होने का दावा कर सकता था, यह कह कर कि "तुमने इन बच्चों को मेरे स्वामित्व के समय में पैदा किया है; इसलिए ये मेरे हैं। तुम तो स्वतंत्र जा सकते हो, परन्तु तुम्हारे बाल-बच्चों को मेरे साथ रहना होगा; वे मेरी संपत्ति हैं।" यह परिच्छेद ऐसी किसी भी संभावना को नकार देता है; इस्राएली दास के बच्चे उस ही के साथ दासत्व से स्वतंत्र किए जाने थे। [13]यह संभावना सुझाती है कि दास को भी किसी ऐसे उद्यम में भाग लेने की अनुमति थी जिस से वह संपन्न हो सके। उदाहरण के लिए, कोई किसी जूते बनाने वाले को दास बना सकता था। अपने स्वामी के लिए कार्य करने के अतिरिक्त, यह दास औरों के लिए भी जूते बना सकता था। उसका स्वामी उसके उद्यम के लाभ का कुछ भाग अपने पास रखने की अनुमति दे सकता था। परिणामस्वरूप, वह दास अपने लिए कुछ धन एकत्रित कर लेता। [14]लॉरेंस एच. शिफ़्फ़मैन, "सब्बैटिकल ईयर," *हार्पर्स बाइबल डिकशनरी*, एड. पौल जे. एकटेमियर (सैन फ़्रैंसिस्को: हार्पर एंड रो, 1985), 889. अन्य प्रमाणों के लिए, जो संकेत करते हैं कि, विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष मनाए जाते थे, देखिए यशायाह 61:1 और यहेजकेल 46:17. दासत्व और सूदखोरी के नियमों के विषय, देखिए नहेमेयाह 5:1-13. [15]आर. के. हैरिसन, *लैव्यव्यवस्था*, द टिन्डेल ओल्ड टेस्टामेंट कॉमेंट्रीस (डाउनर्स ग्रोव, इल्लिनोय: इन्टर-वर्सिटी प्रैस, 1980), 229. हैरिसन ने उन कारणों को मानने की व्याख्या की जिनसे पता चलता था कि इस्राएली इन विशेष वर्षों को मनाते थे। (उपरोक्त., 228-29.) [16]गेन, 440-41. [17]देखिए ओवेन डी. ओल्ब्रक्ट और ब्रूस मैक्लार्टी, *कुलुस्सियों एण्ड फ़िलेमोन*, ट्रुथ फ़ॉर टुडे कमेन्ट्री (सर्ची, आर्क.: रिसोर्स पब्लिकेशन्स, 2005), 532-33.